Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अल्ला रखा पुत्र रमजान खां जाति मुसलमान निवासी 2 एसटीवाई तहसील घड़साना

बनाम

सरपंच 3 एमएलडी ग्राम पंचायत 5 एमएलडी तहसील घड़साना आदि

किस्म मुकदमा:–निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम — प्रकरण सं.–08/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
12.04.2023	11.04.2023 को राजकीय अवकाश होने पर आज दिनांक 12.04.2023 को पत्रावली पेश हुई। वकील निगरानीकर्ता एवं वकील गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3/1 ता 3/2 हाजिर। वकील निगरानीकर्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश किया जिसकी नकल वकील गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3/1 ता 3/2 को दिलाई जाकर प्रार्थना जवाब शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में पत्र क्रमांक 195 दिनांक 16.02.2023 द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ से चाही गई रिपोर्ट आज दिनांक तक प्राप्त नही हुई। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी तथा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3/1 ता 3/2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील निगरानीकर्ता ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकर्ता के पिता रमजान खां पुत्र मुस्लीम खां जाति मुसलमान निवासी 2 एसटीवाई तहसील घड़साना के नाम से एक रिहायशी प्लाट पैमूदा 20 गुणा 40 वर्गगज का ग्राम पंचायत रोजड़ी द्वारा आवंटितशुदा है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत रोजेड़ी द्वारा दिनांक 10.01.1974 को निगरानीकर्ता के पिता के नाम से जारी किया गया है। निगरानीकर्ता के पिता द्वारा एक वसीयत अपने पुत्र निगरानीकर्ता के पक्ष में दिनांक 23.08.2019 को निष्पादित की गई। निगरानीकर्ता उक्त दिनांक से आज तक उक्त प्लाट पर काबिज है। निगरानीकर्ता के प्लाट के साथ दो प्लाट सावन खां पुत्र कादरे खां व कादरे खां पुत्र राजू खां के दो प्लाट प्रत्येके साईज 20 गुणा 40 वर्गगज चिपते हुए है जिनका भी पट्टा जारी है। कादरे खां व सावन खां के वारिसान गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 व 4 ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर निगरानीकर्ता के प्लाट में दखलअंदाजी कर निर्माण कार्य अधिक भूमि पर करना चाहते है तीनों प्लाटों की पैमाईश हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति, घड़साना को दिनांक 03.06.2019 व 28.01.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है। लेकिन उनके द्वारा आज तक कोई पैमाईश नहीं की गई है जबकि निगरानीकर्ता द्वारा तीनों प्लाटो की पैमाईश कर निशानदेही दिये जाने बाबत निवेदन किया गया है। परन्तु पंचायत समिति द्वारा भी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 व 4 की मदद की जा रही है। इससे निगरानीकर्ता के हित प्रभावित हो रहे है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जावे। वकील गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3/1 ता 3/2 ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी व प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानीकर्ता की निगरानी अनुसार निगरानीकर्ता के पिता रमजान खां पुत्र मुस्लीम खां के नाम से 2 एसटीवाई तहसील घड़साना का आवासीय भूखण्ड पैमूदा 20 गुणा 40 कुल 800 वर्गगज दिनांक 10.01.1974 का को ग्राम पंचायत आवंटित हुआ। उक्त भूखण्ड का वसीयत का इंतकाल ग्राम पंचायत दर्ज से नहीं करवाया गया है। निगरानीकर्ता ने गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 सावन खां के जायज वारिसान साबरा, सरमा, निकी को पक्षकार ना बनाकर सावन खां के भाईयों को पक्षकार बनाया गया है जो कानूनी रूप से गलत है। आवासीय अहाता की पैमाईश का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.06.2019 व 28.01.2021 को विकास अधिकारी पंचायत समिति, घड़साना के समक्ष प्रस्तुत किया इसके पश्चात क्या कार्यवाही हुई, इस संबंध में हस्तगत निगरानी में कोई तथ्य नहीं बताये गये। निगरानीकर्ता ने पैमाईश के प्रार्थना पत्रों को आधार बनाकर दो/तीन वर्षो से पश्चात इस न्यायालय मे निगरानी पेश की गई है। निगरानीकर्ता का एकमात्र उद्देश्य सावन खा पुत्र कादरें खां के देहान्त के पश्चात उनकी पुत्रियों के हक व अधिकारो को हथियाना है। सावन खां की पुत्रियों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आने के पश्चात ग्राम पंचायत को मकान बनाने से रोकने हेतु मिथ्या कथनों के आधार पर हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की गई है। जिसमे निगरानी के कोई भी हित निहित नहीं है। अतः निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी निरस्त योग्य है। निगरानीकर्ता ने अपने पिता के नाम का आवासीय अहाता की पैमाईश के लिए दिनांक 03.06.2019 व 28.01.2021 को विकास अधिकारी पंचायत समिति घड़साना के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किये। पैमाईश प्रार्थना पत्रों पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही ना होने को आधार बनाकर हस्तगत निगरानी पेश की गई है। जबकि उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करवाने के लिए विकास अधिकारी पंचायत समिति घड़साना को क्षेत्राधिकार है। मात्र पैमाईश प्रार्थना पत्र के आधार पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार हस्तगत निगरानी के तहत न्यायालय को नहीं है। क्योंकि हस्तगत निगरानी धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत पेश की गई है। धारा 97 के अनुसार " राज्य सरका[illegible] (1) "राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वाराआवेदन किये जा[illegible]ी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समि[illegible] उपरा[illegible]का अभिलेख उसमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश [illegible] ऐसी कार्यवाहियो की नियमितता के [illegible] का समाधान करने [illegible] मगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि कि[illegible] किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपात[illegible] या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी। (3) र[illegible]रकार स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त आवेदन पर, किसी भी समय उप धारा (1) के अधीन आदेश पारित किये जाने के 90 दिन के भीतर–भीतर ऐसे किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी।"	

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत हस्तगत निगरानी में किसी प्रकार का ग्राम पंचायत/स्थायी समिति का विनिश्चय या आदेश नहीं है जो हस्तगत निगरानी में चाहे गये अनुतोष से सम्बंधित है। मात्र पैमाईश प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत निगरानी पेश की गई है जो पंचायती राज प्रावधानों के मुताबिक इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। निगरानीकर्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी में भी यह माना है कि पंचायत समिति या ग्राम पंचायत के निर्णय के विरूद्ध जिला कलक्टर महोदय के समक्ष निगरानी पेश हो सकती है। इसलिए गैरनिगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर निगरानीकर्ता की निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 की प्रति को गहनता से अवलोकन किया। निगरानीकर्ता ने हस्तगत निगरानी उसके द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति धडसाना को समक्ष प्रस्तुत पैमाईश प्रार्थना पत्र दिनांक 03.06.2019 व 20.01.2021 पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर पेश की है। पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 (1) अनुसार "राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वाराआवेदन किये जाने पर, किन्हीं भी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उसमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, या उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि किसी भी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी।" अर्थात उक्त नियम अनुसार किसी भी विनिश्चय या आदेश के विरूद्ध निगरानी पेश की जा सकती है। ग्राम पंचायत या स्थायी समिति द्वारा पारित किसी प्रकार का कोई आदेश हस्तगत निगरानी में उपलब्ध नहीं है तथा ना ही निगरानीकर्ता द्वारा किसी आदेश को निरस्त करने बाबत अनुतोष चाहा गया है। लिहाजा हस्तगत निगरानी सारहीन पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3/1 व 3/2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता तथा निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner